रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 जनवरी, 2015

सं. टीएएमपी/36/2014-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, मेसर्स अडानी वैज़ाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में अपने बर्थ ईस्ट क्वे-1 के लिए दरमान की अधिसूचना हेतु प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/36/2014-वीपीटी

मेसर्स अडानी वैज़ाग कोल टर्मिनल प्राइ. लिमि. --- आवेदक

गणपूर्ति:

1. श्री टी.एस.बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

2. श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी 2015 के 2रे दिन पारित)

यह प्रकरण, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) में अपने बर्थ ईस्ट क्वे-1 के लिए दरमान की अधिसूचना के संबंध में अडानी वैज़ाग कोल टर्मिनल प्राइ.लिमि. (एवीसीटीपीएल) से प्राप्त दिनांक 30 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 ईस्ट क्वे-1 पर स्टीम कोल के प्रहस्तन हेतु डिज़ाइन, निर्माण, वित्त पोषण, प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीएफओटी) आधार पर मशीनी टर्मिनल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण ने

एक आदेश सं. टीएएमपी 54/2009-वीपीटी, दिनांक 4 मई 2010 को पारित किया था, जो भारत का राजपत्र असाधारण (भाग-III—खंड IV) में राजपत्र सं. 143 के माध्यम से 22 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था ।

2.2 अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.1 के अनुसार निजी प्रचालक को अपने प्रचालनों के लिए वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत करने से पहले, लागू होने योग्य उच्चतम दरों से युक्त दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क करना होगा, जैसाकि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 48 के अधीन अपेक्षित है और 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.2 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा संरचित दरमान पत्तन के लिए प्रदत्त प्रशुल्क की ऊपरी सीमाओं के अनुरूप होगा और धारा 2.8 में वर्णित इन्डैक्सेशन (समायोजन) के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किया जाएगा । ऐसा दरमान और शर्तों की विवरणी इस प्राधिकरण द्वारा भारत का राजपत्र में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जैसा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा अपेक्षित है ।

3. एवीसीटीपीएल ने विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) में अपने बर्थ ईस्ट क्वे-1 हेतु उसके दरमान की अधिसूचना के संबंध में इससे पहले भी दिनांक 10 जुलाई, 2014 का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । किन्तु, एवीसीटीपीएल ने प्रस्तावित दरों का निर्धारण करते समय आधार वर्ष 1 जनवरी, 2010 के लिए, इसके मामले में लगने योग्य 22.52% का सही-सही वृद्धि अवयव लागू नहीं किया था । एवीसीटीपीएल ने मसौदा दरमान और स्वतंत्र इंजीनियर से पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था ।

4. उपरोक्त को देखते हुए हमारे पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा एवीसीटीपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह वर्ष 2014-15 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित प्रयोज्य समायोजन घटक को विधिवत लागू करते हुए आदेश सं. टीएएमपी 54/2009-वीपीटी, दिनांक 4 मई, 2010 में इस प्राधिकरण द्वारा इस दरमान को अनुमोदित मानते हुए संपूर्ण मसौदा दरमान प्रस्तुत करें और, अपने बर्थ पर प्रचालनों के आरम्भ किए जाने की संभावित तिथि बताए तथा वीपीटी के साथ संपादित कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुसार, स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र की एक प्रति भी अग्रेषित करें ।

5. अपने पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2014 द्वारा एवीसीटीपीएल ने दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क पर वर्ष 2014-15 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित 22.52% का समायोजन घटक लागू करते हुए सभी प्रशुल्क मदों के लिए अपनी बर्थ हेतु प्रस्तावित दरें प्रस्तुत की हैं । उन्होंने स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति भी अग्रेषित की है और प्रचालन आरम्भ करने की संभावित तिथि के रूप में सितम्बर, 2014 का संकेत दिया है । दरमान का मसौदा अग्रेषित करने की बजाय एवीसीटीपीएल ने इसके द्वारा वीपीटी के साथ संपादित कन्सेशन एग्रीमैंट का संलग्नक-12 अग्रेषित किया है, जिसमें दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश के जरिये इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची शामिल है ।

6.1. दिनांक 30 जुलाई, 2014 के एवीसीटीपीएल के प्रस्ताव की एक प्रति, हमारे पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2014 के जरिये वीपीटी को अग्रेषित की गई थी ताकि वह एवीसीटीपीएल के प्रस्ताव पर अपनी राय दे सके और एवीसीटीपीएल से बर्थ पर प्रचालनों के आरम्भ होने की प्रत्याशित तिथि भी सुनिश्चित कर सके । इसके बाद, अपना उत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ दिनांक 9 अक्तूबर, 2014 और 3 नवम्बर, 2014 के अनुस्मारक जारी किए गए ।

6.2. अपने पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 के द्वारा वीपीटी ने स्वतंत्र इंजीनियर से पूर्णता प्रमाण पत्र की एक प्रति अग्रेषित की है और इस बात की पुष्टि की है कि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार परियोजना 2 सितम्बर, 2014 से वाणिज्यिक प्रचालनों के शुभारंभ के लिए तैयार है (फिट है)। वीपीटी ने एवीसीटीपीएल के प्रस्ताव पर कोई विशेष टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं । चूंकि इस प्राधिकरण के समक्ष मुख्य कार्य, प्रयोज्य वृद्धि घटक को लागू करने और यह मान्य करने के अधीन कि वीपीटी ने टर्मिनल में प्रचालन आरम्भ होने की तिथि की पुष्टि कर दी है, 4 मई, 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में, पहले से अधिसूचित दरों को लेते हुए दरमान को डीबीएफओटी प्रचालक एवीसीटीपीएल के नाम में अधिसूचित करवाना है । यह प्राधिकरण एवीसीटीपीएल के दरमान की अधिसूचना के लिए इसके प्रस्ताव पर आगामी कार्रवाई करने का निर्णय करता है ।

7.1. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थिति उभरती हैः-

(i) ईस्ट क्वे-1 पर स्टीम कोल के प्रहस्तन हेतु डिज़ाइन, निर्माण करो, वित्त पोषण करो और हस्तांतरण करो (डीबीएफओटी) आधार पर मशीनीकृत टर्मिनल हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर एक आदेश सं. टीएएमपी 54/2009-वीपीटी,

दिनांक 4 मई, 2010 को पारित किया था जो भारत का राजपत्र असाधारण में 22 जून, 2010 को राजपत्र सं. 143 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

(ii) जैसा कि इसके पहले वर्णन किया गया था, अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण हेतु 2008 के मार्गदर्शियों की धारा 2.9.1 निजी प्रचालन से अनुरोध/अपेक्षा करती है कि वह (अपने बर्थ पर) वाणिज्यिक प्रचालनों की शुरुआत से पहले अपने प्रचालनों को प्रयोज्य उच्चतम दरों से युक्त दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क करें। तद्नुसार जैसाकि 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों के तहत अपेक्षित है, अपने दरमान (एसओआर) को अधिसूचित करवाने के अनुरोध के साथ एवीसीटीपीएल ने इस प्राधिकरण से संपर्क किया।

(iii) स्वतंत्र इंजीनियर ने घोषित कर दिया है कि परियोजना 2 सितंबर, 2014 से वाणिज्यिक प्रचालनों में प्रवेश के लिए तैयार (फिट) है। प्रचालक एवीसीटीपीएल और भूमि स्वामी पत्तन वीपीटी ने भी स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर विशाखापत्तनम पत्तन के बर्थ ईस्ट क्वे-1 पर टर्मिनल प्रचालक द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के शुभारंभ की प्रत्याशित तिथि के रूप में 2 सितम्बर, 2014 की पुष्टि की है। इसको देखते हुए यह प्राधिकरण मई, 2010 में अनुमोदित दरमान की अधिसूचना के लिए एवीसीटीपीएल के प्रस्ताव पर विचार करने को प्रवृत्त है। यह, थोक मूल्य सूचकांक (में उतार चढ़ाव के) 60% तक ऐसी अनुमोदित दरों के इन्डैक्सेशन के संदर्भ से समायोजन के अधीन है।

(iv) 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.9.2 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा निजी प्रचालक के लिए तैयार किया जाने वाला दरमान धारा 2.9.1 के अनुसार, पत्तन के लिए प्रदत्त प्रशुल्क की ऊपरी सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए और इसके पहले वर्णित इन्डैक्सेशन के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किया जाना चाहिए। वीपीटी और एवीसीटीपीएल के बीच संपादित कन्सेशन एग्रीमेंट का अनुच्छेद 8.1, बर्थ ईस्ट क्वे-1 पर प्रशुल्क का लगाया जाना को शासित करता है, नियंत्रित करता है। लाइसैंस एग्रीमैंट के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार सुविधा भोगी अर्थात् एवीसीटीपीएल संलग्नक-12 के रूप में जुड़ी प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार परियोजना सुविधाओं और सेवाओं के उपयोक्ताओं से प्रशुल्क उगाहने का अधिकारी होगा।

(v) दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश के जरिये निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क के इन्डैक्सेशन के संदर्भ से जैसा कि 2008 के मार्गदर्शियों की धारा 2.8 के अंतर्गत अपेक्षित है, एवीसीटीपीएल ने दिनांक 30 जुलाई, 2014 के अपने पत्र में मई, 2010 के प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त दरों को लेते हुए और 22.52% का वृद्धि घटक लागू करते हुए, जैसा इस प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 2010 के आधार वर्ष के साथ अनुमोदित अधिकतम प्रशुल्क पर घोषित किया गया था। प्रस्तावित दरें प्रस्तुत की हैं। एवीसीटीपीएल द्वारा प्रदत्त दरों का सत्यापन किया गया है और वे सही पायी गयी हैं। फिर भी यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि अनुरोध के बावजूद एवीसीटीपीएल ने, 4 मई, 2010 के आदेश में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची को लेते हुए और इसे 22.52% का वृद्धि घटक लागू करते हुए इसके द्वारा परिगणित इन्डैक्स्ड दरों के साथ अद्यतन करते हुए मसौदा दरमान अग्रेषित नहीं किया है। चूंकि एवीसीटीपीएल ने पहले ही, 22.52% के प्रयोज्य वृद्धि घटक को लागू करते हुए प्रस्तावित दरें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं। यह प्राधिकरण 4 मई, 2010 को वीपीटी के लिए अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क दरमान में प्रस्तावित दरें प्रतिस्थापित करने और शामिल करने हेतु और दरमान को एवीसीटीपीएल के नाम में अधिसूचित करने को प्रवृत्त है, जैसाकि 2008 मार्गदर्शियों की धारा 2.8 के अंतर्गत अपेक्षित है।

(vi) आने वाले वर्षों के लिए भी जनवरी, 2010 और प्रासंगिक वर्ष की जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव के 60% की सीमा तक इन्डैक्सेशन, आदेश सं. टीएएमपी/54/2009-वीपीटी दिनांक 4 मई, 2010 के जरिये अनुमोदित प्रशुल्क के संदर्भ से लागू किया जाना है न कि अनुमोदित इन्डैक्स्ड दरमान के संदर्भ से, अतएव, दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश में अनुमोदित दरमान में अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य नोट को यह स्थिति स्पष्ट करते हुए उपयुक्त रूप से सुधारा जाता है। यह 2008 मार्गदर्शियों के तहत शासित अन्य बीओटी प्रचालकों के दरमानों में प्रावधानों (प्रेसक्रिप्शन) के अनुरूप है जिन्होंने प्रचालन आरम्भ कर दिये हैं। दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश के दरमान में यथा अनुमोदित दरों को लागू किए जाने को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तों को यथावत रखा गया है।

(vii) 2008 के मार्गदर्शियों की धारा 3.8.5 के अनुसार, दरमान और शर्तों की विवरणी के स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या की मांग करने वाला यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका मामला इस प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय प्रचालक पर बाध्यकारी होगा ।

(viii) एवीसीटीपीएल से अपेक्षा है कि वह कम से कम बोली दस्तावेज/कन्सेशन एग्रीमैंट में प्रकाशित प्रदर्शन मानकों/मानदंडों के अनुसार प्रदर्शन करें । एवीसीटीपीएल के वास्तविक प्रदर्शन का इस प्राधिकरण द्वारा प्रबोधन किया जाएगा । सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई शिकायत मिलेगी तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोपों की जाँच करवा सकता है और अपने निष्कर्ष वीपीटी को भेज सकता है । एवीसीटीपीएल के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो वीपीटी कन्सेशन एग्रीमैंट के प्रावधानों के अनुसार यथोचित कार्रवाई आरम्भ कर सकता है ।

(ix) टर्मिनल पर वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर, एवीसीटीपीएल को निदेश दिया जाता है कि वह वीपीटी के माध्यम से इस प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें बीते तीन महीनों के दौरान बर्थ ईस्ट क्वे-1 पर प्रचालक का भौतिक एवं वित्तीय परिवर्तन समाहित हो ।

7.2 परिणामस्वरूप और ऊपर प्रदत्त कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण ईस्ट क्वे-1 पर स्टीम कोल के प्रहस्तन के लिए वीपीटी पर एवीसीटीपीएल द्वारा प्रचालन योग्य मैकेनाइज्ड/मशीनीकृत टर्मिनल के प्रचालन हेतु दरमान का जैसा संलग्नक के रूप में संलग्न है, अनुमोदन करता है ।

7.3 एवीसीटीपीएल के लिए अधिसूचित दरमान, वीपीटी में एवीसीटीपीएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन आरम्भ करने की तिथि से प्रभाव में आएगा ।

टी. एस. बालासुब्रमणियन् सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4 /असा./143/2014]

संलग्नक

अडानी वैझाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

डीबीएफओटी आधार पर भीतरी बंदरगाह पर स्थित ईस्ट क्वे-1 बर्थ पर स्टीम कोल के मशीनों से प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क अनुसूची

1.1 **परिभाषाएं**

इस दरमान में, जब तक की प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगीः-

(i) **'तटीय पोत'** से तात्पर्य है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसैंस धारी कोई भी पोत जो भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पोत या स्थान के बीच व्यापार में अनन्य रूप से लगा हुआ है ।

(ii) **'विदेशगामी पोत'** से तात्पर्य तटीय से इतर कोई पोत है ।

(iii) **'दिन'** से अर्थ होगा एक दिन के सुबह 6 बजे से आरम्भ होकर अगले दिन सुबह 6 बजे समाप्त होने वाली अवधि ।

1.2 **सामान्य नियम एवं शर्तें**

(i) पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से कोई पोत तटीय अथवा विदेश गामी है यह निर्णीत करने के लिए सीमा शुल्क द्वारा इसके प्रमाणन में पुष्टि किया गया पोत का दर्जा ही निर्णायक फैक्टर (घटक) होगा और कार्गो की प्रकृति अथवा इसके आरम्भिक स्थान की इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी ।

(ii) (क) सभी तटीय पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार, अन्य पोतों के लिए तदनुरूप प्रभारों के 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

(ख) तापीय कोयले को छोड़कर शेष सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधी प्रभार सामान्य कार्गो संबंधी प्रभारों के 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

(ग) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में पोत से तट पर अंतरण के लिए और क्वे से/को भंडारण यार्ड तक/से (क्वे से भंडारण यार्ड तक अथवा भंडारण यार्ड से क्वे तक), पोत घाट शुल्क समेत, रियायती दरें ही, लगायी जानी चाहिए।

(घ) विदेशी पत्तन से बाद में, भारतीय पत्तन 'ख' हेतु पोतान्तरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुँचने वाले कार्गो पर उसकी तटीय यात्रा के लिए प्रासंगिक रियायत दरें लगेंगी। दूसरे शब्दों में तटीय यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से/को ले जाया/लाया गया कार्गो रियायत के लिए अर्हक होगा।

(iii) विलंबित भुगतानों/धन वापसियों पर ब्याज

(क) इस दरमान के अंतर्गत उपयोक्ता विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी प्रकार, टर्मिनल प्रचालक भी विलंबित धन वापसियों पर दंडात्मक ब्याज़ का भुगतान करेगा।

(ख) दंडात्मक-ब्याज़ की दर, भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लैंडिंग दर से 2% ज्यादा होगी।

(ग) धन वापसियों में विलंब सेवाओं के पूर्ण होने की तिथि या उपयोगकर्त्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति इनमें से जो भी बाद में हो केवल 20 दिन से ही गिना जाएगा।

(घ) उपयोगकर्त्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब, टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तिथि के केवल 10 दिनों के बाद गिना जाएगा। किंतु यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाना है जहां प्रभारों का भुगतान अग्रिम किया जाना इस दरमान में एक शर्त के रूप में दिया गया हो।

(iv) सकल भार की गणना करने में अथवा आयतन के माप में अथवा किसी विशेष वस्तु की क्षमता के माप में, 0.5 तक और उसके समेत के अंश (भिन्न) को 0.5 मान लिया जाएगा और 0.5 से ऊपर के अंश को, उसके सिवाय जहाँ अन्यथा विनिर्दिष्ट है, पूरा एक यूनिट (इकाई) माना जाएगा।

(v) सभी परिगणित प्रभार, बिल के महायोग (कुल योग) पर अगले उच्चतर रुपये में परिवर्तित कर दिये जाएंगे।

(vi) (क) दरमान में प्रदत्त दरें उच्चतम स्तर हैं और इसी प्रकार, छूट और कटौतियाँ निम्नतम स्तर हैं। टर्मिनल प्रचालक, यदि चाहे तो कमतर दरें प्रभारित कर सकता है और/अथवा उच्चतर छूट और कटौतियाँ प्रदान कर सकता है।

(ख) टर्मिनल प्रचालक चाहे तो वह दरमान में प्रदत्त दरों के लागू किए जाने को शासित करने वाली प्रदत्त शर्तों को भी तर्क संगत/युक्ति संगत बना सकता है यदि (बशर्ते) शर्तों को युक्ति संगत बनाया जाना उपयोक्ता को प्रति यूनिट दर में राहत प्रदान करता हो और दरमान में प्रदत्त यूनिट दरें उच्चतम स्तरों से अधिक न हो।

(ग) टर्मिनल प्रचालक, ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली शर्तों के युक्तिकरण को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगा, बशर्ते कि निर्धारित नई दरें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक न हो।

(vii) उपयोक्ताओं से युक्ति संगत स्तर से आगे उन विलम्बों के लिए किसी प्रभार के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

2. बर्थ किराया प्रभारः—

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका अंश	
		विदेशगामी पोत (रु. में)	तटीय पोत (रु. में)
1	पोत	0.646	0.387

नोट्सः-

(i) बर्थ किराये की अवधि, उस समय से गिनी जाएगी जिस समय से पोत बर्थ पर स्थान ग्रहण करता है, उस समय तक गिनी जाएगी जब वह बर्थ खाली करता है।

(ii) बर्थ किराया प्रभारों में बर्थ पर प्रदान की गई सेवाओं, जैसे बर्थ पर स्थान ग्रहण करना, कचरा हटाना, बर्थ की साफ-सफाई, अग्नि निगरानी इत्यादि के लिए प्रभार शामिल हैं।

(iii) उस अवधि के लिए कोई बर्थ किराया देय नहीं होगा जिसमें पोत, अपने बर्थ पर, टर्मिनल प्रचालक के उपकरण न उपलब्ध होने/मशीनों में खराबी आ जाने के कारण अथवा बिजली चले जाने अथवा किसी ऐसे अन्य कारण से जिसके लिए टर्मिनल प्रचालक उत्तरदायी हो, लगातार एक घंटा या उससे अधिक समय तक बेकार खड़ा रहे।

(iv) (क) पोत द्वारा उसकी रवानगी के लिए तैयार होने का संकेत दिए जाने के 4 घंटे बाद से बर्थ किराया लगना रुक जाएगा।

(ख) बर्थ किराया लगाया जाना रोकने के लिए प्रदत्त चार घंटे की समय सीमा में अनुकूल ज्वार-भाटे की प्रतीक्षा में लगा समय, खराब मौसम की प्रतीक्षा अवधि और रात में मार्गदर्शन अभाव वाली अवधि शामिल नहीं होगी।

(ग) पोत का मास्टर/एजेन्ट अनुकूल ज्वार भाटा स्थिति और अनुकूल मौसम होने पर ही अपनी रवानगी (समुद्री यात्रा) के लिए तैयार होने का संकेत दें।

(v) झूठा/गलत संकेत देने के लिए एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभार के बराबर दंडात्मक बर्थ किराया लगाया जाएगा।

झूठा संकेत तब होगा जब पोत तैयारी का संकेत देता है और तब उम्मीद में पाइलट की भी मांग कर बैठता है जबकि वह स्वयं इंजन तैयार न होने के कारण अथवा कार्गो प्रचालन पूरा न हो पाने के कारण अथवा पोतों की जिम्मेदारी वाले ऐसे ही अन्य कारणों से बर्थ छोड़ने को ही तैयार न हो। इसमें तैयारी के संकेत वाला तब का संकेत शामिल नहीं है जब पोत, प्रतिकूल ज्वार-भाटा स्थिति, रात्रि मार्गदर्शन सुविधा का अभाव अथवा प्रतिकूल मौसम के हालातों के कारण यात्रा पर रवाना न हो पा रहा हो।

3. **कार्गो प्रहस्तन प्रभार**

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	दर रुपयों में (प्रति टन)	
			विदेशी	तटीय
(क)	स्टीम कोल	प्रति मिट्रिक टन	194.78	116.87

नोटः

ऊपर प्रदत्त प्रहस्तन प्रभार पोत घाट शुल्क सहित पोत से कार्गो को उतारने और उसे भंडारण स्थान तक पहुँचाने, स्टेक यार्ड में 5 दिनों की निःशुल्क अवधि तक भंडारण करने उसे स्टेक यार्ड से पुनः प्राप्त करने और उसे रेलवे वैगनों पर चढ़ाने और जब कभी आवश्यकता हो, श्रमिक उपलब्ध करवाने और ऐसे सभी विविध प्रभारों का जो दरमान में विशिष्ट रूप से प्रदत्त नहीं है, मिला-जुला सम्मिश्र प्रभार है।

4. भंडारण प्रभार

स्टेक यार्ड में 5 दिनों की नि:शुल्क अवधि से आगे भंडारित कार्गो के लिए भंडारण के लिए भंडारण प्रभार निम्नानुसार होंगे –

(दर रु. प्रति मी.टन प्रति दिन या उसके अंश में)

क्र. सं.	वस्तु	नि:शुल्क अवधि के बाद शेष के कार्गो के लिए पहले पाँच दिन हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6 ठे दिन से 10 वें दिन तक हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 11 वें दिन तथा आगे के लिए दर
1.	स्टीम कोल	1.97	3.95	7.89

<u>नोट्स-</u>

(i) पांच नि:शुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से नि:शुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियाँ और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।

(ii) भंडारण प्रभार प्रदत्त नि:शुल्क अवधि के बाद भी कार्गो के ठहरने के लिए, टर्मिनल के गैर कामकाजी दिनों और सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।

(iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं जुड़ेगा जिसमें टर्मिनल प्रचालक, उन कार्गो से उपयोगकर्त्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, कार्गो सुपुर्दगी देने की/पोत लदान करने की स्थिति में न हो जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक जिम्मेदार ठहराया जा सके।

5. **विविध प्रभार**

प्रहस्तित कोकिंग कोल और स्टीम कोल पर निम्नलिखित विविध प्रभार लगेंगे:-

क्र.सं.	विवरण	दर रुपयों में प्रति टन अथवा उसका अंश
1	झाड़ू लगाने, धूल दबाने और पर्यावरण संरक्षण इत्यादि हेतु प्रभार	1.98

6. **ऊपर खंड 2 से 5 के लिए सामान्य नोट-**

अडानी वैज़ाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमान में प्रदत्त प्रशुल्क की ऊपरी सीमाओं पर 1 जनवरी, 2010 तथा प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) में होने वाले उतार चढ़ाव की 60% तक की सीमा तक इन्डैक्शन लगाते हुए, आदेश सं. टीएएमपी/54/2009-केपीटी दिनांक 4 मई, 2009 के जरिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क पर विचार करता है। आगामी वर्षो के लिए भी, आदेश सं. टीएएमपी/54/2009-वीपीटी दिनांक 4 मई, 2010 में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क मुद्रास्फीति के अनुसार, किन्तु 1 जनवरी, 2010 और प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में उतार चढ़ाव के 60% की सीमा तक ही इन्डैक्स किया जाएगा। प्रशुल्क की ऊपरी सीमाओं का ऐसा स्वचालित समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और प्रशुल्क की समायोजित ऊपरी सीमाएँ प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा और आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू रहेगा।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th January, 2015

No. TAMP/36/2014-VPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. for notification of its Scale of Rates for its Berth East-Quay-1 at Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/36/2014-VPT

Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. … Applicant

QUORUM:

(i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on the 2nd day of January, 2015)

This case relates to the proposal dated 30 July 2014 received from Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. (AVCTPL) regarding notification of Scale of Rates for its berth East Quay-1 at Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2.1. This Authority had passed an Order No. TAMP/54/2009-VPT on 4 May, 2010 on the proposal filed by VPT for fixation of upfront tariff for mechanised terminal for handling steam coal at East Quay 1 on Design, Built, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) basis which was notified in the Gazette of India, Extraordinary (Part III—Section 4) on 22 June 2010 vide Gazette No.143.

2.2. As per Clause 2.9.1 of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff, the private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to its operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of MPT Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by the Authority shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

3. The AVCTPL had earlier sent a proposal dated 10 July 2014 regarding notification of Scale of Rates for its berth East Quay-1 at Visakhapatnam Port Trust (VPT). However, AVCTPL had not applied the correct escalation factor of 22.52% applicable in its case for the base year 1 January, 2010 while arriving at the proposed rates. The AVCTPL had also not furnished the draft SOR and the completion certificate from the Independent Engineer.

4. In view of above, the AVCTPL was requested by our letter dated 16 July, 2014 to furnish complete draft Scale of Rates taking the Scale of Rates as approved by this Authority in Order No.TAMP/54/2009-VPT dated 4 May, 2010 duly applying the applicable indexation factor announced by this Authority for the year 2014-15 and to indicate the likely date of commencement of operations at the Berth and also forward a copy of the completion certificate from the Independent Engineer as per the concession agreement entered with the VPT.

5. The AVCTPL by its letter dated 30 July, 2014 has furnished proposed rates for its berth for all the tariff items applying indexation factor of 22.52% announced by this Authority for the year 2014-15 on the upfront tariff approved by this Authority vide Order dated 4 May, 2010. They have also forwarded a copy of the Independent Engineers report and indicated the tentative of commencement of operations as September, 2014. Instead of forwarding the draft Scale of Rates, the AVCTPL has forwarded the Appendix 12 of the Concession Agreement entered into by it with the VPT which contains the Upfront Tariff Schedule approved by this Authority vide Order dated 4 May, 2010.

6.1. A copy of the AVCTPL's proposal dated 30 July, 2014 was forwarded to the VPT vide our letter dated 20 August, 2014 to offer its comments on the proposal of AVCTPL and also to ascertain from AVCTPL the expected date of commencement of the operations at the Berth. This was followed by reminders dated 9 October, 2014 and 3 November, 2014, requesting VPT to expedite furnishing its response.

6.2. The VPT by its letter dated 16 December, 2014 has forwarded a copy of the completion certificate from the Independent Engineer and confirmed that the project has been declared fit to enter into commercial operations from 2 September, 2014 as per the Completion Certificate issued by the Independent Engineer. The VPT has not furnished any specific comments as such on the proposal of AVCTPL. Since the exercise before this Authority is only to notify the SOR in the name of the DBFOT operator AVCTPL taking the rates already notified in the upfront tariff Order of

4 May, 2010 subject to applying the applicable escalation factor, and recognizing that the VPT has confirmed the date of commencement of operation of the terminal, this Authority decides to proceed ahead with the proposal of the AVCTPL for notification of its Scale of Rates.

7.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i) This Authority had passed an Order No. TAMP/54/2009-VPT on 4 May, 2010 on the proposal filed by Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of upfront tariff for mechanised terminal for handling steam coal at East Quay 1 on Design, Built, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) basis which was notified in the Gazette of India Extraordinary on 22 June, 2010 vide Gazette No.143.

(ii) As brought out earlier, Clause 2.9.1 of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff requires the private operator to approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing ceiling rates applicable to its operations before commencement of commercial operations. Accordingly, AVCTPL has approached this Authority with a request to notify its Scale of Rates (SOR) as required under the Tariff Guidelines of 2008.

(iii) The Independent Engineer has declared that the project is fit for entry into commercial operations from 2 September, 2014. The operator AVCTPL and the landlord port VPT have also confirmed the expected date of commencement of the commercial operation by the terminal operator at berth East-Quay-1 of the Visakhapatnam Port as 2 September, 2014 on the basis of the Completion Certificate issued by the Independent Engineer. In view of that this Authority is inclined to entertain the proposal of AVCTPL for notification of the Scale of Rates approved in May, 2010 subject to adjustment with reference to the indexation of the rates so approved to the WPI to the extent of 60%.

(iv) As per clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority for the private operator as per Clause 2.9.1 should be in line with the tariff caps prescribed for the Port and included in the bid document, subject to indexation as explained earlier. Article 8.1 of the Concession Agreement (C.A.) entered between the VPT and AVCTPL governs levy of the tariff at Berth East-Quay-1. As per Article 8.1 of the License Agreement, the Concessionaire i.e. AVCTPL shall be entitled to recover tariff from the users of the Project Facilities and Services as per the Tariff Notification annexed as Appendix 12.

(v) With reference to the indexation of the upfront tariff fixed vide Order dated 4 May, 2010 as required under Clause 2.8. of the 2008 Guidelines, the AVCTPL has in letter dated 30 July, 2014 furnished the proposed rates taking the rates as prescribed in the May, 2010 tariff Order and applying the escalation factor of 22.52% as announced by this Authority on the tariff caps approved with the base year 1 January, 2010. The proposed rates given by AVCTPL have been verified and found to be correct. It is, however, relevant to state that despite request, the AVCTPL has not forwarded the draft Scale of Rates taking the upfront tariff Schedule approved in the Order of 4 May, 2010 and updating it with indexed rates arrived by it applying the escalation factor of 22.52%. Since the AVCTPL has already furnished the proposed rates applying the applicable escalation factor of 22.52%, this Authority is inclined to replace and incorporate the proposed rates in the upfront tariff SOR approved for VPT on 4 May, 2010 and notify the SOR in the name of AVCTPL as required under clause 2.8 of the 2008 guidelines.

(vi) For the subsequent years as well, the indexation to the extent of 60% of the WPI occurring between January, 2010 and January of the relevant year has to be applied with reference to the tariff approved vide Order No. TAMP/54/2009-VPT dated 4 May, 2010 and not with reference to the approved indexed Scale of Rates. The General note to Schedule (2) to (5) in the SOR approved in the Order dated 4 May, 2010 is, therefore, suitably modified clarifying this position. This is in line with the prescription in the Scale of Rates of other BOT operators governed under 2008 guidelines who have commenced the operations. All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the Scale of Rates of the Order dated 4 May, 2010 are retained.

(vii) As per clause 3.8.5 of the 2008 guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.

(viii) The AVCTPL is expected to perform at least at the performance standards/norms brought out in the bid documents/Concession Agreement. The actual performance of the AVCTPL will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority may enquire into such allegation and forward its findings to the VPT. If any action is to be taken against the AVCTPL, the VPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

(ix) During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the AVCTPL is directed to submit to this Authority through the VPT a report containing the physical and Financial performance at berth East-Quay-1 during the preceding three months.

7.2. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the Scale of Rates for operation of mechanised terminal for handling of steam coal at East-Quay-1 operatable by the AVCTPL at VPT attached as **Annex**.

7.3. The Scale of Rates notified for AVCTPL will come into force from the date of commencement of commercial operations by AVCTPL at VPT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Annex

ADANI VIZAG COAL TERMINAL PVT. LTD.

TARIFF SCHEDULE FOR MECHANISED HANDLING OF STEAM COAL AT EAST QUAY 1 BERTH AT INNER HARBOUR ON DBFOT BASIS

1.1. DEFINITIONS

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i) "**Coastal vessel**" means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority.

(ii) "**Foreign going vessel**" means any vessel other than a Coastal vessel.

(iii) "**Day**" shall mean the period starting from 6.00 A.M. of a day and ending at 6.00 A.M. on the next day.

1.2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

(i) The status of the vessel, as borne out by its certification by the customs or Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is "coastal" or "foreign-going" for the purpose of levy of vessel related charges; and the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.

(ii) (a) The berth hire charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.

(b) The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.

(c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.

(d) Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port "A" for subsequent transhipment to Indian Port "B" will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.

(iii) Interest on delayed payments/refunds

(a) The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.

(b) The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.

(c) The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.

(d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.

(iv) In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions up to and inclusive 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of above 0.5 shall be treated as one unit, except where otherwise specified.

(v) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.

(vi) (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if they so desire, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.

(b) The terminal operator may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.

(c) The terminal operator should notify the public such lower rates and/or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.

(vii) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to terminal operator.

2. BERTH HIRE CHARGES:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof	
		Foreign Going Vessel (in Re.)	Coastal Vessel (in Re.)
1.	Vessels	0.646	0.387

Notes:

(i) The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupied the berth till she vacates the berth.

(ii) Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch etc.

(iii) No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or more due to non-availability/break down of terminal operator's equipment or power failure or any reasons attributable to the terminal operator.

(iv) (a) Berth hire shall stop four hours after the time of the vessel signaling its readiness to sail.

(b) The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of the berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather and due to lack of night navigation.

(c) The Master/agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favourable tidal and weather conditions.

(v) The Penal berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charges for a false signal.

"False Signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions.

3. CARGO HANDLING CHARGES:

Sl. No.	Commodity	Unit	Rate in Rupees	
			Foreign	Coastal
(a).	Steam coal	Per Metric Tonne	194.78	116.87

Note:

The handling charges prescribed above is a composite charge for unloading of the cargo from the vessel and transfer of the same up to the point of storage, storage at the stackyard up to a free period of 5 days reclaiming from stackyard and loading on to railway wagons including wharfage and supply of labour whenever necessary and all other miscellaneous charges not specifically prescribed in the Scale of Rates.

4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period of 5 days shall be as below:

(**Rate in ₹ per tonne per day or part thereof**)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6th day to 10th day for the balance cargo	Rate for 11th onwards for the balance cargo
1.	Steam coal	1.97	3.95	7.89

Notes:

(i) 5 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.

(ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

(iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

5. MISCELLANEOUS CHARGES:

The following Miscellaneous charges are applicable of coking coal and steam coal handled:

Sl. No.	Particulars	Rate per tonne or part thereof (in ₹)
(i)	Charges for Sweeping, dust suppression and environment etc.	1.98

6. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE:

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. takes into consideration the upfront tariff approved by the Authority vide Order No. TAMP/54/2009-VPT dated 4 May, 2010 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January, 2010 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No. TAMP/54/2009-VPT dated 4 May, 2010 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January, 2010 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.